



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-09012023-241800  
CG-MH-E-09012023-241800

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18]  
No. 18]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 9, 2023/पौष 19, 1944  
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 9, 2023/PAUSHA 19, 1944

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड  
अधिसूचना

मुम्बई, 9 जनवरी, 2023

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) (संशोधन) विनियम, 2023

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023-112.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) (संशोधन) विनियम, 2023 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे:  
परंतु यह कि अनुसूची-II के पैरा 1कक में जोड़े गए खंड (क) एवं (ख) के बारे में यही माना जाएगा कि वे 8 दिसम्बर, 2016 से पैरा 1कक में शामिल रहे हैं।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993 में, अनुसूची-II में, पैरा 1कक के स्थान पर निम्नलिखित पैरा आ जाएगा, अर्थात्:-

“1कक. जिस निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया हुआ हो, वह अपना रजिस्ट्रीकरण जारी रखने के लिए, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने की तारीख से या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [कुछ मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम, 2016 के प्रारंभ होने से पहले प्रदान किए गए आरंभिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की तारीख से, छठे वर्ष से प्रत्येक तीन वर्षों हेतु रजिस्ट्रीकरण फीस अदा करेगा, जैसा नीचे बताया गया है:

- क. विनियम 3 के उप-विनियम (2) के अनुसार श्रेणी (प्रवर्ग)-I में आने वाला निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता दो लाख सत्तर हजार रुपये की फीस अदा करेगा;
- ख. विनियम 3 के उप-विनियम (2) के अनुसार श्रेणी (प्रवर्ग)-II में आने वाला निर्गम रजिस्ट्रार या शेयर अंतरण अभिकर्ता नब्बे हजार रुपये की फीस अदा करेगा।”

बबीता रायडू, कार्यपालक निदेशक  
[विज्ञापन-III/4/असा./546/2022-23]

#### पाद टिप्पणः

1. मूल विनियम भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993, फा.सं.सेबी/एलई/5/93, 31 मई 1993 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993 तत्पश्चात्:
  - क) 28 नवम्बर, 1995 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 1995, सं. का.आ. 939(अ), द्वारा
  - ख) 17 सितम्बर, 1997 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) (संशोधन) विनियम, 1997, सं. का.आ. 660(अ), द्वारा
  - ग) 5 जनवरी, 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) (संशोधन) विनियम, 1998, सं. का.आ. 14(अ), द्वारा
  - घ) 30 सितम्बर, 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) (संशोधन) विनियम, 1999, सं. का.आ. 796(अ), द्वारा
  - ङ) 17 नवम्बर, 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1999, सं. का.आ. 1120(अ), द्वारा
  - च) 28 मार्च 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000, सं. का.आ. 278 (अ), द्वारा
  - छ) 29 मई, 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, सं. का.आ. 476(अ), द्वारा
  - ज) 27 सितम्बर, 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, सं. का.आ. 1045(अ), द्वारा
  - झ) 1 अक्टूबर, 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) (संशोधन) विनियम, 2003, सं. का.आ. 1157(अ), द्वारा
  - ञ) 10 मार्च, 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004, का.आ. सं. 398(अ), द्वारा

- ट) 7 सितम्बर, 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) (संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. सं. 1452(अ), द्वारा
- ठ) 26 मई, 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008, अधिसूचना सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2008/11/126538, द्वारा
- ड) 26 अगस्त, 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009, अधिसूचना सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2009-10/15/174471, द्वारा
- ढ) 19 अप्रैल, 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [कुछ मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2011-12/03/12650, द्वारा
- ण) 5 जुलाई, 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) (संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/11/21228, द्वारा
- त) 16 अगस्त, 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/18/26148, द्वारा
- थ) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037 [तारीख 29 मार्च, 2017 को अधिसूचित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/038 के साथ पठित], द्वारा
- द) 30 मई, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) (संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/17, द्वारा
- ध) 8 जून, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/25, द्वारा
- न) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबाक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/10, द्वारा
- प) 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/23, द्वारा
- फ) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबाक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/30, द्वारा

संशोधित हुए थे।

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA****NOTIFICATION**

Mumbai, the 9th January, 2023

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA****(Registrars to an Issue and share Transfer Agents)****(Amendment) Regulations, 2023**

**No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/112.**—In exercise of the powers conferred under section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993, namely: -

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) (Amendment) Regulations, 2023.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette:

Provided that insertion of clauses (a) and (b) to paragraph 1AA of Schedule II shall always deemed to have been included in paragraph 1AA from December 8, 2016.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993, in Schedule II, paragraph 1AA shall be substituted with the following paragraph, namely:-

*“1AA. A registrar to an issue and share transfer agent who has been granted a certificate of registration, to keep its registration in force, shall pay registration fee, every three years from the sixth year, from the date of grant of certificate of registration, or from the date of grant of certificate of initial registration granted prior to the commencement of the Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2016 as the case may be, as specified below:*

- a. A registrar to an issue and share transfer agent falling under category I, as specified in sub-regulation (2) of regulation 3, shall pay a fee of two lakh and seventy thousand rupees;*
- b. A registrar to an issue or share transfer agent falling under category II, as specified in sub-regulation (2) of regulation 3, shall pay a fee of ninety thousand rupees.”*

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Ext./546/2022-23]

**Footnotes:**

1. The principal regulations Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 were published in Official Gazette of India on May 31, 1993 vide F. No. SEBI/LE/5/93.

2. The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 were subsequently amended on:

- a) November 28, 1995 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 1995 vide No. S.O. 939 (E);
- b) September 17, 1997 by Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) (Amendment) Regulations, 1997 vide No. S.O. 660 (E).
- c) January 5, 1998 by the Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) (Amendment) Regulations, 1998 vide No. S.O. 14 (E).
- d) September 30, 1999 by the Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) (Amendment) Regulations, 1999 vide No. S.O. 796 (E).
- e) November 17, 1999 by Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) (Second Amendment) Regulations, 1999 vide No. S.O. 1120 (E).
- f) March 28, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Appeal to Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 vide No. S.O. 278 (E).
- g) May 29, 2001 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 vide No. S.O. 476 (E).
- h) September 27, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 vide No. S.O. 1045 (E).

- i) October 1, 2003 by the Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) (Amendment) Regulations, 2003 vide No. S.O. 1157 (E).
- j) March 10, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 vide S.O. No. 398(E).
- k) September 7, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) (Amendment) Regulations, 2006 vide S.O. No. 1452 (E).
- l) May 26, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008 vide Notification No. LAD/NRO/GN/2008/11/126538.
- m) August 26, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 vide Notification No. LAD/NRO/GN/2009-10/15/174471.
- n) April 13, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2011 vide Notification No. LAD/ NRO/ GN/ 2011-12/03/12650.
- o) July 05, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) (Amendment) Regulations, 2011 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2011-12/11/21228.
- p) August 16, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) (Second Amendment) Regulations, 2011 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2011-12/18/26148.
- q) March 6, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2016-17/037 read with March 29, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2016-17/038.
- r) May 30, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) (Amendment) Regulations, 2018 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2018/17.
- s) June 8, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) (Second Amendment) Regulations, 2018 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2018/25.
- t) April 17, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
- u) May 5, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2021 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/23.
- v) August 3, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.